उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976)

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT ACT, 1976

(U.P. Act No. 6 of 1976)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976)

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 18, 1995

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 02, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 04, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 2008

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 06, 2018

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 25, 2020

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 05, 2022

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अप्रैल, 1976 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकारी का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में,–

(क) "सुविधा" के अन्तर्गत [2][मार्ग, पुल, उपरिगामी सेतु, भूमिगत पारपथ] जल–सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत् सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा–करकट [3][स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन, ईंधन, पावर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी और गैस पाइप लाइन] का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकार्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है ;

1– उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकारी (असाधारण) गजट, दिनांक 16 अप्रैल, 1976 देखिए ।

2– उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (क) (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3– उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (क) (ii) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][(ख–1) "भवन" मे कोई संरचना या निर्माण या उसका भाग सम्मिलित है जो किसी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है और उस पर कब्जा है या कब्जा किये जाने योग्य है ;]

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

[2][(ग–1) "कम्पनी" का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित किसी कम्पनी या इसके सांविधिक उपान्तरण से है जिसमें सम्पूर्ण दत्त अंशपूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा धृत है या अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा धृत है ;

[2][(ग–2) "विकास" का इसके व्याकरणिक भिन्नताओं सहित तात्पर्य है किसी भूमि या भवन पर किसी संगठित क्रियाकलाप को करना जिसमें कोई परिवर्तन भी है जो वित्तीय व्ययों के कारण हुआ है और जिससे दर योग्य मूल्यों में वृद्धि हो सकती है और इसमें पुनर्विकास भी है ;

[2][(ग–3) "आर्थिक क्रियाकलाप" में औद्योगिक, विनिर्माण, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लाजिस्टिक, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य, आवास, मनोंरंजन, शोध और विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, सूचना और संचार, प्रबन्धन और परामर्श, सुविधाओं के विकास और अनुरक्षण से जुड़ी गतिविधियां और सेवायें और ऐसे अन्य आर्थिक क्रियाकलाप है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;]

(घ) "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे ;

[3][(घ–1) "औद्योगिक टाउनशिप" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस रूप मे विनिर्दिष्ट औद्योगिक टाउनशिप से है ;

[3][(घ–2) "अवसंरचना परियोजना" का तात्पर्य किसी परियोजना से है जिसे ऐसी अवसंरचना, सुख साधन, सुविधाओं या सेवाओं से है, जो विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सुगम और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित हों, के विकास के लिए लिया गया है या लिया जाना है ;]

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और "अध्यासी" के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

[4][(ङ–1) "स्थल" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या दोनों के चिन्हित अंश से है;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ङ–2) "विशेष निवेश क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1–क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप मे घोषित क्षेत्र से है ;][1]

(च) "अन्तरिती" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और "अन्तरिती" के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

[2][(च–1) "इकाई" का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र या विशेष निवेश क्षेत्र में किसी आर्थिक कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी इकाई या उपक्रम से है ;

[2](च–2) "उपभोक्ता प्रभार" का तात्पर्य प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों से है ;]

(छ) शब्द और पदावलि "भवन", "विकास", "भवन के परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिये दिये गये हैं।

प्राधिकारी का गठन

3– [3][(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसी ओद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी घोषित कर सकती है, जिसे (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जायेगा ।

[3](1–क) राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, उसकी भौगोलिक सीमाओं का अवधारण करते हुए, जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर या बाहर पड़ती हो या अंशतः भीतर या अंशतः बाहर पड़ती हो, अधिसूचना द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है । विशेष निवेश क्षेत्र को ऐसे नाम से जाना जाएगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।]

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा ।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे : ––

(क) [4][सरकार के प्रमुख सचिव] उद्योग विभाग या उनका नामांकित जो [4][विशेष सचिव] के पद के नीचे का न हो–– पदेन . . . . **सदस्य–अध्यक्ष**

[5][परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा ।]

(ख) [4][सरकार] के प्रमुख सचिव" सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो [4][विशेष सचिव] के पद के नीचे का न हो –– पदेन **सदस्य**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 2 (च) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 2008 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ग) [1][सरकार के प्रमुख सचिव] स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकिती जो [1][विशेष सचिव] के पद के नीचे का न हो —— पदेन	**सदस्य**
(घ) [1][सरकार के प्रमुख सचिव] वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो [1][विशेष सचिव] के पद के नीचे का न हो —— पदेन	**सदस्य**
(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम —— पदेन	**सदस्य**
(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम–निर्दिष्ट पांच सदस्य	**सदस्य**
(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**सदस्य सचिव**

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे ।

(5) प्राधिकारी के बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य न होगी ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालित अधिकारी होगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय ।

प्राधिकारी के कर्मचारिवृन्द

5–(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाये, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाभिधान अवधारित कर सकता है ।

(2) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जिस पर प्राधिकारी के साथ सहमति हो ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

[1][**5–क–** (1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे पदों के लिये, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या उससे अधिक "औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवाऐं" सृजित कर सकती है जो समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हों और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की निबंधन और शर्तें विहित कर सकती है ।

(2) कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व, ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत अधिकारी या कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 द्वारा शासित या, प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न दे, ऐसी सेवा में, ––

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो; और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्ति धारण किया हो, आमेलित किया जायेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार को औद्योगिक विकास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलित न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, जिसमें विफल होने पर यह समझा जायेगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अंतिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिये लिया है ।

(4) अधिकारी या कर्मचारी, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अंतिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से ली जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अंतिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा ।

(5) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी, जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प देता है या जिसे अंतिम रूप से आमेलन के लिये उपयुक्त न पाया जाय, की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा :–

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था ;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द "वेतन" में महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 6, 2018 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

प्राधिकारी के कृत्य

6–(1) प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा ।

(2) प्राधिकारी के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा : ––

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से, भूमि अर्जित करना ;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करना ;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये अनुरचना की व्यवस्था करना ;

[1][(ङ) नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करना ;]

[1][(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अंतरण करना एवं मास्टर प्लान के अनुसार ऐसी अन्य भूमि का प्रयोग करना ;]

[1][(छ) मास्टर प्लान के अनुसार भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना एवं भूमि के प्रयोग को विनियमित करना ; और]

[1][(ज) मास्टर प्लान के अनुसार उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायेगा ।]

[2][(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर सुनियोजित विकास करने के लिए या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या तो पूर्णतः स्वामित्व वाली या अंशतः प्राधिकरण द्वारा और अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली कोई कम्पनी या एक से अधिक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निगमित कर सकती है।]

[2][(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कम्पनी की अंश पूंजी, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन ऐसे होंगे जैसे प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किये जायं :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहाँ अंश पूंजी अंशतः राज्य सरकार द्वारा धारित की जाय वहाँ अंश पूंजी इस उपधारा के अधीन संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन बनायी गयी कम्पनी ऐसे कृत्यों को करेगी जैसे इसे संगम ज्ञापन द्वारा सौंपे जाय ।

(6) जहाँ प्राधिकरण की राय में विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी किसी विकास योजना के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

किसी सम्पत्ति का मूल्य, जो विकास द्वारा लाभान्वित हुआ हो, बढ़ गया हो या बढ़ने की संभावना हो, वहाँ विकास के निष्पादन के परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में सम्पत्ति के स्वामी या इसमें हित लाभ रखने वाले किसी व्यक्ति पर सुधार प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण हकदार होगा :

परन्तु यह कि सरकार द्वारा स्वामित्व वाली किसी भूमि के संबंध में कोई सुधार प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टा पर या लाइसेंस के रूप में किसी व्यक्ति को दी गयी हो, चाहे उस पर कोई भवन स्थित हो या न हो, वहाँ वह इस उपधारा के अधीन सुधार प्रभार के अधीन होगी।][1]

अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने और कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने की शक्ति

[2]**[6–क**–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए जैसे विनियमों मे निर्दिष्ट किये जायें, प्राधिकारी, करार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने या अनुरक्षण करने या व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रखने और उसके लिये उद्ग्रहीत, यथास्थिति कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है।]

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति

7–प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है :

[3]**[**परन्तु यह कि,

(क) जहॉ कोई भूमि किसी औद्योगिक इकाई और/अथवा किसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत सेवा इकाइयों (आई0टी0/आई0टी0इ0एस0) की स्थापना हेतु दिनांक 28.07.2020 के पूर्व पट्टे पर आंवटित की गई हो; तथा

(ख) उक्त भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता/न्यूनतम अधिभोग) दिनांक 28.07.2020 तक न किया गया हो; तथा

(ग) पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि, अथवा आंवटन की निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो दिनांक 27.07.2020 तक व्यतीत हो चुकी हो; तथा

(घ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे आंवटी को दिनांक 31.12.2022 के कम से कम तीन माह पूर्व उक्त भूमि का उपयोग दिनांक 31.12.2022 तक उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह आवंटित की गई हेा, करने के लिए नोटिस दी जा चुकी हो, तथा आवंटी को ऐसा करने से विफल होने सम्बंधी यथा उल्लिखित परिणामों से अवगत करा दिया गया हो; तथा,

(ड.) उक्त आवंटी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाय;

तो उक्त आवंटन तथा पट्टा विलेख दिनांक 31.12.2022 को स्वतः रद्द हुआ माना जाएगा तथा उक्त भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी'';

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त परंतुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश से उक्त परंतुक में उल्लिखित ऐसे रद्दकरण तथा निहित किये जाने के दिनांक को विनिधान प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के हित में बढ़ा सकती है।

स्पष्टीकरण–1:– पूर्वोक्त संशोधन से कोई आवंटी/इकाई, न्यूनतम आठ वर्ष की अवधि पूरा करने हेतु दावा करने का हकदार नहीं होगा। ऐसे उपयोग हेतु नियत अवधि आवंटन की निबंधनों और शर्तों तथा सम्बंधित प्राधिकरण की नीति से शासित होंगी जिसमें समय वृद्धि और अन्य हितों तथा प्रभारी की उपयोज्यता सम्मिलित है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 4ख द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 2, 1999 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 05, 2022 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

स्पष्टीकरण–2:– आवंटन तथा पट्टा विलेख के ऐसे रद्दकरण तथा भूमि को प्राधिकरण में निहित किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि का प्रतिसंदाय संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा।]

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

8–(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में ऐसे निर्देश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ––

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप ;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण ;

(ग) भवनों में और उनके आस–पास रखे जाने वाले खुले–स्थानों के बारे में और भवनों की ऊँचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें;

(घ) किसी स्थल पर परिनियर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन ;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का अनुरक्षण ;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण ;

(ज) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आवंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन,

(झ) –– (i) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी,

(ii) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण, और

(iii) नगर के कूड़ा–करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किये जाने वाले साधन ।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

9–(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र मे ंकिसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नही करेगा ।

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिये विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) किसी भवन की बाहय ओर विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवसिथति या निर्माण की रीति ;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊचाई और ढाल ;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक–थाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊँचाई ;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिये आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई–चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था ;

(ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय ;

(झ) प्रमाण–पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक और आनुषंगिक हों ;

[1][(ञ) ऐसी समय–सीमा जिसके भीतर कोई भवन बनाया जाना या विद्यमान भवन में मरम्मत, विस्तार या उपरान्तरण किया जाना अपेक्षित होगा, पूरा किया जायेगा और इसके पश्चात् भवन के निर्माण या यथास्थिति, मरम्मत, विस्तार या उपान्तरण के पूरा होने की सूचना प्राधिकरण में दर्ज करायी जायेगी और उसमें पूर्णता का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा ।]

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

10–यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है जिस में उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है ।

कर का उद्ग्रहण

11–[2][(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार ऐसे स्थल जिसमें भवन का स्थल भी सम्मिलित है, के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "बाजार–मूल्य" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(क) विक्रय की दशा में, प्रतिफल की राशि; या

(ख) पट्टे की दशा में, प्रीमियम की राशि; या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 18, 1995 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक–हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अन्तरिती या अध्यासी या उसके किसी श्रेणी की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

टोल आदि उदग्रहण करने की शक्ति

[1]**[11–क–** औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर ऐसे लोकप्रिय विश्राम स्थलों (किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों सहित) के पहुंच मार्गों और अन्य सुख साधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण आगंतुकों से ऐसी दरों और ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए हकदार होगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा टोल के भुगतान से आगंतुकों के किसी भी वर्ग को छूट प्रदान कर सकती है और ऐसा कोई दिवस नियत कर सकती है जिस पर टोल नही लिया जायेगा ।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण

11–ख– (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र अथवा विशेष निवेश क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उस प्रतिफल, जिसके सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क आँगणित किया है, की धनराशि अथवा उसके मूल्य पर दो प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी।

(2) उक्त वृद्धि से प्राप्त समस्त संग्रह, आनुषंगिक व्ययों की कटौती के पश्चात्, यदि कोई हो, और जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित किया जाय, को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपयुक्त लेखा–शीर्षक या निधि में हस्तान्तरित किया जायेगा और विनियोजित किया जायेगा।][2]

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

12–उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,––

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्य–पालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

औद्योगिक नगरी के लिए पंचायत नहीं होगी

[1][**12–क–** किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहॉ कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय, वहाँ ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, यदि किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित हो, उक्त परन्तुक के अधीन की गई अधिसूचना के दिनांक से, ऐसे पंचायत क्षेत्र से अपवर्जित हो जायगा और ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन कोई पंचायत गठित नही की जायगी, और ऐसी अधिसूचना के दिनाँक के पूर्व ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग के लिए गठित पंचायत समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण :– पद "पंचायत" और "पंचायत क्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो संविधान के भाग नौ में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।]

[2][**12–ख–**(1) राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र या इसके किसी भाग को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विर्निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(2) उत्तर प्रदेश अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन जहाँ कोई विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विनिर्दिष्ट है, वहाँ ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो, अधिसूचना के दिनांक से ऐसे नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित हो जायेगा और ऐसे क्षेत्र के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :– पद "नगर पालिका" का वही अर्थ होगा जो भारत का संविधान के भाग नौ या भाग नौ–क में इसके लिए समनुदेशित है।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 04, 2001 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

13–जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल–धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या [1][अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का किसी धनराशि के भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है] वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकती है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जायगी ।

[2][**13–क**–धारा 13 के अधीन प्राधिकरण को देय कोई धनराशि सम्पत्ति पर प्रभार होगी और उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धाराओं 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 के अधीन उपबंधित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करके वसूल किया जा सकेगा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होने जैसे ये किसी नगर निगम को देय कर की वसूली में लागू होते है यथापि उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में "नगर आयुक्त" "निगम अधिकारी और निगम" को किये गये संदर्भ के अर्थ क्रमशः "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" और "प्राधिकरण" के संदर्भ में लगाये जायेंगे :

परन्तुक यह कि वसूली के एक से अधिक तरीके एक साथ आरम्भ या जारी नही रखे जायेंगे ।]

अंतरण की शर्तो के उल्लंघन के लिए समपहरण

14–(1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल–धन या उसके किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधियाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

शास्ति

15–कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध–दोष होने पर जुर्माना से जो [1][पचास हजार रूपये] तक हो सकता है, और सतत् अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रूपए तक हो सकता है,–

प्रवेश आदि की शक्ति

16–मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है ––

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना ;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई ऐसा कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ;

[2][(ग–1) भूमि के मध्य परत में गड्ढा खोदना या बोरिंग करना ;

(ग–2) चाहारदीवारी बनाना या निर्माण की निर्दिष्ट रेखा बनाना ;

(ग–3) ऐसी सतह, चाहारदीवारी और चिन्ह बनाकर और खांई काटकर रेखा बनाना;

(ग–4) यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि को नक्शा के अनुसार और अनुमति में वर्णित निबन्धों और शर्तो के अनुसार विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है ।]

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो ;

परन्तु ––

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायगा ;

(2) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

(3) जिस भूमि या भवन मे प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया जाता है ।

बाधा डालने, शास्ति का अधिरोपण करने, बन्द आदि करने के लिए दण्ड

[1]**[16–क–**(1) किसी व्यक्ति को, जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर या भवन मे प्रवेश करने में बाधा डालता है कारावास से, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

उद्ग्रहण, निर्धारण, प्रयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण की शक्ति

16–ख–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जब ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशिष्ट विकास योजना की इतनी पर्याप्त प्रगति होगी कि प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि निर्धारित की जाय तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आदेश द्वारा घोषित करेगा कि प्रयोक्ता प्रभार का निर्धारण करने के प्रयोजन से योजना का निष्पादन पूर्ण किया हुआ समझा जायेगा और सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को लिखित रूप से नोटिस देगा कि नोटिस में उल्लिखित सम्पत्ति के संबंध में प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति द्वारा देय प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि का, ऐसे व्यक्ति को आपत्तियाँ दाखिल करने और मौखिक सुनवाई के लिए सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निर्धारित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्धारण की लिखित नोटिस के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में घोषणा द्वारा सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या इस पर आपत्ति करता है ।

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण के आदेश को संबंधित व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभारों को स्वीकार कर लिया जाय वहाँ ऐसा निर्धारण अन्तिम होगा और संबंधित व्यक्ति निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करेगा ।

(5) यदि संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित निर्धारण आदेश पर आपत्ति करता है तो संबंधित व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश निर्धारण की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के दिनांक से छह माह के भीतर अपील का निस्तारण करेगा । अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा ।

(6) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकती है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं० 10, 2016 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।

(7) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत प्रयोक्ता प्रभार किश्तों की ऐसी संख्या में देय होगा, जैसा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली में नियत किया जाय ।

(8) प्रयोक्ता प्रभार का कोई भी बकाया भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा और ऐसी सम्पत्ति पर प्रभार के रूप में होगा ।][1]

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

17–किसी क्षेत्र की इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक किसी ऐसी योजना से अलग समझा जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कर्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

19–(1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो ।

(2) विशेवतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य–संचालन, और उसमें गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या जो आवश्यक हो ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबंध ;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2016 की धारा 12 द्वारा बढ़या गया।